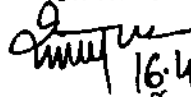


राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 957 /2020 दिनांक : 16.04.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/595/2020 दिनांक 25.02.2020 के द्वारा श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को दिनांक 11.03.2020 से 13.03.2020 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.03.2020 से 10.03.2020 एवं 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों एवं 16.03.2020 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 11.03.2020 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/22/2013/ 2047

दिनांक : 16 04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को उनके पत्रांक 19 दिनांक 17.03.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) केसेज जोधपुर।


16.4.2020
सहायक रजिस्ट्रार